माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / अका. / 2026 / 931 भोपाल, दिनांक 22/09/2026

अधिसूचना

(पुनः नामांकन के संबंध में नीति / नियम)

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन निरस्त होने के उपरांत पुनः नामांकन किए जाने के संबंध में निम्नलिखित नियम / नीति अधिसूचित किए जाते हैं।

1. उन्हीं विद्यार्थियों का पुनः नामांकन किया जावेगा जिनका नामांकन क्रमांक अप्रूवल स्टेटस में हो एवं जिनकी प्रथम नामांकन के समय आवंटित नामांकन क्रमांक की वैधता अवधि उतनी शेष हो, जिसमें वह विद्यार्थी अपने बचे हुए सेमेस्टर की पढ़ाई कर सके। इसी अवधि के परीक्षा सत्रों में विद्यार्थी को अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है। इस अवधि के पश्चात् उसका नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
2. विद्यार्थी को सम / विषम सेमेस्टर में तभी पुनः नामांकित किया जा सकेगा जब वह सेमेस्टर यूटीडी / अध्ययन संस्था में उस समय संचालित किया जा रहा हो।
3. NEP एवं Non- NEP पाठ्यक्रमों में पुनः नामांकन किया जा सकेगा।
4. पुनः नामांकन में पूर्व में जारी नामांकन क्रमांक आवंटित किया जावेगा।
5. पुनः नामांकन का शुल्क रू.1250/–प्रति विद्यार्थी देय है। शुल्क डिमांड ड्राफ्ट ("Registrar, MCNUJC,Bhopal" के नाम एवं Payable at Bhopal) द्वारा देय होगा।
6. विद्यार्थी को पूर्व में जारी किया गया माईग्रेशन प्रमाणपत्र, पुनः नामांकन के समय नामांकन शाखा में वापस जमा किया जाना अनिवार्य है।
7. पुनः नामांकित विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर में (जिस सेमेस्टर में पुनः नामांकन किया जा रहा है) प्रवेश लेना अनिवार्य है एवं नियमित कक्षाओं में नियमानुसार उपस्थित रहकर प्रचलित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना अनिवार्य है।
8. पुनः नामांकन के उपरांत विद्यार्थी द्वारा शेष सेमेस्टरों के समस्त शुल्क नियमानुसार देय होंगे।

(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र. / अका.2026 / 932 भोपाल, दिनांक 22.09.2026

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलगुरू एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. निदेशक, ए.एस.आई, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रीवा परिसर प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त अधिकारी ,मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
6. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक कुलसचिव (गोपनीय / नामांकन) मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक कुलसचिव (अकादमिक) मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रमुख, वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
11. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर ऑनलाइन प्रकाशित)।

sd/–
(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव